बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक- सिं0 को0-125/2006-पार्ट ।। - 374- पटना, दिनांक- ~~/2015~~ 14-11-16

प्रेषक,

ई0 राम पुकार रंजन
अभियंता प्रमुख,
सिंचाई सृजन

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता, सिंचाई सृजन,
जल संसाधन विभाग,
मोतीहारी/ सिवान/ सहरसा/ दरभंगा/ डिहरी/ औरंगाबाद/ गया/ नालंदा(बिहारशरीफ)/ भागलपुर ।

विषय:- रब्बी सिंचाई 2016-17 के लक्ष्य निर्धारण हेतु विहित प्रपत्र में आँकड़े उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

रब्बी सिंचाई 2016-17 के समयानुसार लक्ष्य निर्धारण हेतु आवश्यक है कि यथाशीघ्र विहित प्रपत्र में सभी आँकड़े सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना को प्राप्त हो जायें । इसके लिये अपने अधीक्षण अभियन्ताओं को आप निदेशित कर दें कि अधीनस्थ प्रमंडलों से समय से प्रतिवेदन प्राप्त कर जाँच कर आपके कार्यालय को उपलब्ध करा दें तथा आपके स्तर पर इसे जाँच कर बुकलेट के फार्म में तैयार कर सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना को दो सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । विभिन्न क्षेत्रों में नहरों में पुनर्स्थापन/ नवीकरण, मरम्मति इत्यादि के कार्य किये गये है, अत: इनसे जलश्राव में वृद्धि के आलोक में क्षेत्रीय पदाधिकारी लक्ष्य प्रस्तावित करेंगे । इसे भी मुख्य अभियन्ता ध्यान में रखेंगे, क्योंकि लक्ष्य निर्धारण में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी अनुमानित जलश्राव ही मुख्य आधार है । कृपया निम्नांकित बिन्दुओं पर केन्द्रित होते हुए संलग्न प्रपत्र में आँकड़े उपलब्ध कराये जायें -

1- आँकड़े उप वितरणी स्तर तक उपलब्ध करायें जाय जिसमें लघु नहरों एवं जलवाहों का आंकड़ा समाहित हो ।

2- क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तावित लक्ष्य 40 हे0/ धनसेक ड्यूटी से कम नही हो । यदि किसी प्रमण्डल के कार्यक्षेत्र की कोई विशिष्ट स्थिति से यह डयूटी प्राप्त करना संभव नहीं हो तो मुख्य अभियन्ता/ अधीक्षण अभियन्ता जाँच कर सत्यापित करेगें, अन्यथा कम लक्ष्य का प्रस्ताव मान्य नहीं होगा ।

3- पूर्व के वर्षों में यह पाया गया है कि कई प्रमंडलों द्वारा लक्ष्य निधारण वर्ष का अनुमानित जलश्राव पूर्व के वर्ष से कम दिखाकर उनके द्वारा प्रस्तावित लक्ष्य को कम कर दिया गया । अत: रब्बी सिंचाई 2016-17 हेतु अनुमानित जलश्राव कम दिखाने वाले प्रतिवेदनों पर मुख्य अभियन्ता अपने स्तर से कार्यवाही करते हुए विभाग को सूचित करेगें ।

4- आँकड़ों को विहित प्रपत्र में उप वितरणी से शुरू कर के वितरणी, शाखा नहर तथा मुख्य नहर के क्रम में भरा जाय जिससे कि इन सभी के सी0सी0ए0 का कुल योग मुख्य नहर के कुल सी0सी0ए0 तथा जलश्राव का कुल योग मुख्य नहर के शीर्ष पर प्राप्त/ अनुमानित जलश्राव के योग के बराबर हो । जिन क्षेत्रों में संभावित, सुनिश्चित क्षेत्र की गणना /धोषणा हो चुकी हो, उसे अभियुक्ति में संबंधित नहर के सामने अंकित कर दिया जाय । प्राय: पाया गया है कि आप के स्तर से अथवा अधीक्षण अभियन्ता के स्तर से क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा भेजे गये आँकड़ों की जाँच नहीं की जाती है । मुख्य अभियन्ता यह सुनिश्चित करेगें कि उनके परिक्षेत्र के सभी प्रमंडलों के प्रतिवेदन को समेकित कराकर जाँच कर ही सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना को बुकलेट (कम्प्युटर प्रिंट) के रुप में उपलब्ध हो ।

5- **नहरवार सृजित सिंचाई क्षमता का उल्लेख प्रपत्र में निश्चित रूप से की जाय । ज्ञातब्य हो कि वर्ष 2015-16 तक वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं से कुल-29.46 लाख हे0 सिंचाई क्षमता का सृजन किया जा चुका है ।**

सभी मुख्य अभियन्ता यह याद रखें कि हमारा लक्ष्य कृषकों को समुचित पानी देकर उत्तम सिंचाई कराना और अधिक से अधिक लक्ष्य को प्राप्त करना है । अत: इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें ।

30 नवम्बर, 2016 तक उक्त आँकड़े प्राप्त नहीं होने पर विभाग के द्वारा उपलब्ध अभिलेख के आधार पर लक्ष्य का निर्धारण किया जायगा जो सर्वमान्य होगा एवं बाद में किसी आपत्ति पर बिचार नहीं किया जायगा।

अनु0-यथावत् ।

विश्वासभाजन

14/11/16
(रामपुकार रंजन)
अभियन्ता प्रमुख, सिंचाई सृजन

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

मुख्य अभियंता, परिक्षेत्र :–

क्र०सं०	प्रमंडल का नाम	नहर का नाम	लाभान्वित जिला	लाभान्वित प्रखंड	सी०सी०ए० (हे० में)	सृजित सिंचाई क्षमता (हे० में)	रूपांकित जलश्राव (घनसेक में)	2015–16 का वास्तविक जलश्राव (घनसेक में)	2016–17 के लिए अनुमानित जलश्राव (घनसेक में)	नहर की लम्बाई (कि०मी० में)	पानी पहुँचने की दूरी (कि०मी० में)	2015–16 में व्यय की गई सामान्य राशि (लाख में)	2015–16 में व्यय की गई कर्णांकित राशि (लाख में)	2015–16 का सिंचाई लक्ष्य (हे० में)	2015–16 का सिंचाई उपलब्धि (हे० में)	2016–17 के लिए प्रस्तावित सिंचाई लक्ष्य (हे० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18